

अवसर समाप्त होने से पहले लाभ उठाएं। अपनी अपडेटेड रिटर्न आज ही दाखिल करें।

निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपडेटेड रिटर्न
दाखिल करने की अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2024



आप निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 की
अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।

अपडेटेड रिटर्न निम्नलिखित मामलों में दाखिल की जा सकती है;

- यदि मूल विवरणी दाखिल नहीं की गई है
- यदि विलंबित विवरणी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है
- यदि आय की घोषणा सही रूप से नहीं की गई है, तो मूल विवरणी में संशोधन के लिए
- यदि आय का गलत शीर्ष चुना गया और गलत दर से कर का भुगतान किया गया
- यदि अग्रणीत हानि या असमायोजित मूल्यहास में कमी अपेक्षित है
- यदि MAT/AMT क्रेडिट में कमी अपेक्षित है
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के तहत कटौती/छूट के दावे की सूचना के लिए यदि आपको नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आपके पास उपयुक्त स्पष्टीकरण/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है
- यदि आपने गलत कटौती/छूट का दावा किया है

यदि आप 31.03.2024 तक आईटीआर-यू (अपडेटेड रिटर्न)
दाखिल करते हैं

अतिरिक्त कर की देय राशि

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए

कुल कर और ब्याज का 50% देय

निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए

कुल कर और ब्याज का 25% देय

अधिक जानकारी के लिए,
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (8ए) और 140 (बी) (3) का कृपया संदर्भ लें।
विलंब न करें, आज ही दाखिल करें।



ई-ब्रोशर के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें



आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं